

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

शुद्धि-पत्र

स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, पटना के राज्यादेश सं०-974(1) दिनांक-01.09.2015 की कंडिका-6 में अंकित "सुसंगत कोषागार फॉर्म" के स्थान पर "बी०टी०सी० फॉर्म-46" पढ़ा जाय।

2- राज्यादेश सं०-974(1) दिनांक-01.09.2015 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

3- राज्यादेश की शेष शर्तें पूर्ववत् रहेगी।

(शेखर चन्द्र वर्मा)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक:-1/ना०अ०-02/2015- 1070(1)/स्वा०, पटना, दिनांक- 18/9/2015
प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/जिलाधिकारी, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना /अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/प्राचार्य/अधीक्षक, नालन्दा मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- मा० मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य विभाग कोषांग/उप सचिव (प्रभारी प्रशाखा-1), स्वास्थ्य के निजी सहायक/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी-1/कार्यवाह सहायक/लेखा शाखा (दो प्रतियों में), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएं एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।